Witness No. ....10........... For ....अभियोजन साक्षी..................Description taken

the........16.08.2024......day of ....शुक्रवार.........Witness's apparent age ...... 18 वर्ष ......

States on affirmation........शपथपूर्वक......my name is................... रहीम खान ....

W/D/Son of .... श्री नंदू .... occupation .... कुछ नही ....

address .... गौरी नगर, वार्ड नं.–13, थाना–चिखली, जिला–राजनांदगांव (छ०ग०) ....

समय–01.00 बजे

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री कुंजलाल साहू अति० लोक अभियोजक

01– साक्षी को प्रकरण में संलग्न आरोपीगण के गिरफ्तारी पत्रक में चस्पा फोटो दिखाकर पूछे जाने पर सभी आरोपीगण को जानना पहचानना बताया। मै मृतक विकास उर्फ कान्हा सारथी एवं जितेंद्र साहू पिता परमानंद साहू को भी जानता पहचानता हूं।

02– घटना आज से लगभग दो साल पहले 2022 की है। हम लोग इंदिरा नगर पंडाल के पास घुम रहे थे वहां से फिर नंदई चौक तरफ सुबह 6.00 बजे आये थे दिन निकल गया था। आरोपी मोहन आया फिर उसके साथी व अन्य आरोपीगण के बीच कुछ बात हुआ होगा जिसकी मुझे जानकारी नही है। जब हम लोग वहां पहूंचे तभी सभी आरोपीगण कान्हा भाई तलवार, स्टीक, छोटा–छोटा चाकू एवं बड़ा चाकू से नंदई चौक में सुबह 6.00 बजे जान से मारे हैं। मै घटना होते हुए देखा हूं।

03– जब आरोपीगण मारना चालू किये तब मै भाई–भाई चिल्ला रहा था फिर ये लोग मारना चालू किये तो वहां से डर कर डायरेक्ट गौरी नगर भाग गया और फिर कान्हा के भाई लोग को जाके बताया कि कान्हा भाई को आरोपीगण चाकू वाकू से मारना चालू कर दिये हैं कहकर उसके भाई लोगों विशाल, शक्ति और धर्मेद्र को वहां लेकर घटना स्थल नंदई पहूंचा।

04– जब मै वहां गया तब देखा कि कान्हा को नल्ली में मारकर फेक दिये थे। पुलिस वाले कान्हा के भाई को पूछे कि कौन मारा है तब मै उसके भाई के बाजु में खड़ा था और पुलिस वालों को बताया था कि मै कान्हा के साथ था। फिर पुलिस वाले मुझे घटना स्थल से गाड़ी में बैठाकर बसंतपुर थाना ले गये थे। पुलिस वाले मुझसे पूछताछ किये फिर मै उनको घटना के बारे में बताया था।

05– थाना बसंतपुर के पुलिस ने मुझे धारा–160 का नोटिस दिया था जो प्र०पी०–16 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे समक्ष प्र०पी०–07 का नोटिस तैयार किया था जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पटवारी द्वारा मेरे समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया था जो प्र०पी०–08 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

06– आरोपी सोहेल का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–17 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है, जप्ती पत्रक प्र०पी०–18 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी अमित ठाकुर का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–19 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी पुलकित का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–20 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी सुनील यादव का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–21 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी ओमप्रकाश का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–22 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी प्रशांत पवार का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–23 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी दुर्गेश नेताम का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–24 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी मोहन यादव का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–25 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी छगन साहू का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–26 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी कुशल साहू का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–27 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी रूपेश का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–28 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

07– साक्षी को प्रकरण में संलग्न दस्तावेज आरोपीगण प्रशांत पवार, राजा उर्फ ओम प्रकाश, मोहन यादव, मोहन यादव, दुर्गेश, सुनील यादव, लक्की उर्फ दुर्गेश नेताम, भैरा उर्फ कुशल

साहू , बिल्लू उर्फ कल्लू , अमित ठाकुर, पुलकित, आशीष विश्वकर्मा, अभिषेक विश्वकर्मा, संतोष साहू, अभिषेक साहू के जप्ती पत्रक क्रमशः प्र०पी०–29 से प्र०पी०–43 तक के जप्ती पत्रक दिखाये जाने पर उनके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

08– आरोपीगण अमित गोंड एवं पुलकित केमे का गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्र०पी०–44 व 45 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

09– मुझे उक्त समस्त प्रदर्श दस्तावेजों को पुलिस वाले पढ़ाये नही थे और हस्ताक्षर करने बोले तो मै हस्ताक्षर कर दिया था। पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिया था।

नोटः– इसी स्तर पर अति० लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि उपस्थित साक्षी अभियोजन पक्ष का समर्थन नही कर रहा है। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–154 के तहत साक्षी से प्रतिपरीक्षण के सदृश्य प्रश्न पूछने की अनुमति दी जावे। निवेदन पर विचार किया साथ ही प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरांत इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अति० लोक अभियोजक को अपने ही साक्षी से प्रतिपरीक्षण के सदृश्य प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है।

10– यह कहना सही है कि दिनांक–03.09.2022 को 12.50 बजे आरोपी अमित ठाकुर पिता राधेश्याम ठाकुर ने थाना बसंतपुर राजनांदगांव में पुलिस को मेरे समक्ष मेमोरेण्डम कथन दिया था जिसमें बताया था कि जिस डण्डा से मै कान्हा सारथी को मारा हूं उसे पास के कुंए में लगे जाली के पास छुपाकर रखा हूं चलो चलकर बरामद करा देता हूं।

टीप– चायकाल का समय 2.00 होने से साक्षी का शेष मुख्य परीक्षण स्थगित किया गया।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही/–
(डी० आर० देवांगन)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव
जिला–राजनांदगांव (छ०ग०)

सही/–
(डी० आर० देवांगन)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव
जिला–राजनांदगांव (छ०ग०)

टीप–चायकाल पश्चात साक्षी रहीम खान अ०सा०–10 को पुनः शपथ दिलाया जाकर शेष मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया।

समय–03.00 बजे

शेष मुख्य परीक्षण द्वारा श्री कुंजलाल साहू अति० लोक अभियोजक

11– यह कहना सही है कि दिनांक–03.09.2022 को 14.20 बजे आरोपी अमित के घर के पास कुआ में लगे जाली के पास से उसके द्वारा निकालकर पेश करने पर पुलिस ने मेरे समक्ष घटना में प्रयुक्त एक नग बांस का डण्डा जिसमें दो गांठ है, डण्डे की कुल लंबाई 34 इंच तथा डण्डे के बीच की गोलाई पांच इंच और डण्डे पर खून जैसा दाग लगा हुआ जप्त किया था।

12– यह कहना सही है कि दिनांक–03.09.2022 को 13.20 बजे पुलिस थाना बसंतपुर में आरोपी पुलकित केमे ने पुलिस को अपना मेमोरेण्डम कथन देते समय बताया था कि मै मोहारा बायपास होते दुर्ग भागते समय अपने चाकू को मोहारा बायपास रोड पुलिया के पास आगे कचरे में छिपाकर रखा हूं चलो चलकर बरामद करा देता हूं का कथन दिया था।

13– यह कहना सही है कि दिनांक–03.09.2022 को 14.35 बजे आरोपी पुलकित केमे के निशानदेही पर मोहारा बायपास दुर्ग रोड में पुलिया के आगे कचरे से निकालकर पेश करने पर घटना में प्रयुक्त एक नग लोहे का चाकु जिसमें लकड़ी का मुठ लगा हुआ है चाकू की कुल लंबाई 14.5 इंच, मुठ की लंबाई 5 इंच, फल की लंबाई 9.5 इंच, फल की चौड़ाई 1.6 इंच और चाकू पर खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ था जिसे पुलिस ने मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष जप्त किया था।

14– यह कहना सही है कि आरोपी सुनील यादव ने दिनांक–01.09.2022 को 15.20 बजे थाना बसंतपुर में पुलिस को मेमोरेण्डम कथन मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष दिया था कि जिस चाकू से मै कान्हा सारथी को मारा हूं उसे अपने घर में छुपा कर रखा हूं चलो चलकर बरामद करा देता हूं।

15– यह कहना सही है कि दिनांक–01.09.2022 को 17.35 बजे आरोपी सुनील यादव के द्वारा घर से निकालकर मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष घटना में प्रयुक्त एक नग लोहे का चाकु

जिसमें लकड़ी का मुठ लगा हुआ है चाकू की कुल लंबाई 14.7 इंच, मुठ की लंबाई 5 इंच, फल की लंबाई 9.7 इंच, फल की चौड़ाई 1.6 इंच धारदार है जिसमें खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ है जप्त किया था।

16– यह कहना सही है कि आरोपी ओमप्रकाश सिन्हा ने दिनांक–01.09.2022 को 15.40 बजे थाना बसंतपुर में पुलिस को मेमोरेण्डम कथन मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष दिया था कि जिस चाकू से मै कान्हा सारथी को मारा हूं उसे अपने घर में छुपा कर रखा हूं चलो चलकर बरामद करा देता हूं।

17– यह कहना सही है कि दिनांक–01.09.2022 को 18.40 बजे आरोपी राजा उर्फ ओमप्रकाश सिन्हा द्वारा घटना में प्रयुक्त एक नग लोहे का चाकु जिसमें लोहे का ही मुठ लगा था, मुठ पर कैमीफाई प्लास्टिक का कव्हर लगा हुआ, चाकू की लंबाई 11.2 इंच, मुठ की लंबाई 5 इंच, फल की लंबाई 6.2 इंच, फल की चौड़ाई 1.3 इंच, फल पर चार झिरियां बनी हुई, फल में अंग्रेजी में USASAVER लिखा हुआ जिसमें खून जैसे दाग धब्बा लगा हुआ था और धारदार था निकालकर पेश करने पर मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष पुलिस ने जप्त किया था।

18– यह कहना सही है कि आरोपी प्रशांत पवार ने दिनांक–01.09.2022 को 16.00 बजे थाना बसंतपुर में पुलिस को मेमोरेण्डम कथन मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष दिया था कि मै कान्हा को मारने के लिए जिस तलवार का उपयोग किया हूं उसे अपने घर में छिपाकर रखा हूं चलो चलकर बरामद करा देता हूं।

19– यह कहना सही है कि दिनांक–01.09.2022 को 18.55 बजे आरोपी प्रशांत पवार द्वारा घटना में प्रयुक्त एक नग लोहे का तलवार जिसकी कुल लंबाई 21 इंच, मुठ की लंबाई 7.05 इंच, फल की लंबाई 13.5 इंच, फल की चौड़ाई उभरे हुए भाग से 0.2 इंच, एक तलवार के फल एवं मुठ में खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ धारदार निकालकर पेश करने पर मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष पुलिस ने जप्त किया था।

20– यह कहना सही है कि आरोपी सोहेल खान ने दिनांक–01.09.2022 को 14.40 बजे थाना बसंतपुर में पुलिस को मेमोरेण्डम कथन मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष दिया था कि मैने जिस चाकू से कान्हा सारथी और जितेंद्र को मारा है उसे अपने घर में छिपाकर रखा हूं चलो चलकर बरामद करा देता हूं।

21– यह कहना सही है कि दिनांक–01.09.2022 को 17.50 बजे आरोपी सोहेल खान के द्वारा अपने घर से निकालकर पेश करने पर घटना में प्रयुक्त एक नग चाकु लोहे का जिसमें लाल रंग का मुठ लगा हुआ, चाकू की लंबाई 9 इंच, मुठ की लंबाई 3.2 इंच, फल की लंबाई 5.8 इंच, फल की चौड़ाई 0.1 इंच, फल पर नीचे तरफ काला प्लास्टिक धागा बंधा हुआ, चाकू के फल पर कई जगह खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ धारदार निकालकर पेश करने पर मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष पुलिस ने जप्त किया था।

22– यह कहना सही है कि आरोपी दुर्गेश ने दिनांक–01.09.2022 को 15.00 बजे थाना बसंतपुर में पुलिस को मेमोरेण्डम कथन मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष दिया था कि मैने जिस चाकू से कान्हा सारथी को मारा है उसे अपने घर में छिपाकर रखा हूं चलो चलकर बरामद करा देता हूं।

23– यह कहना सही है कि दिनांक–01.09.2022 को 18.10 बजे आरोपी दुर्गेश के द्वारा घर से निकालकर पेश करने पर घटना में प्रयुक्त एक नग लोहे का बड़ा चाकू जिसमें लकड़ी का मुठ लगा हुआ, चाकू की लंबाई 14.9 इंच, मुठ की लंबाई 5 इंच, फल की लंबाई 9.9 इंच, फल की चौड़ाई 1.06 इंच, जिसमें फल एवं मूठ में खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ धारदार था निकालकर पेश करने पर मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष पुलिस ने जप्त किया था।

24– यह कहना सही है कि आरोपी मोहन यादव ने दिनांक–01.09.2022 को 14.05 बजे थाना बसंतपुर में पुलिस को मेमोरेण्डम कथन मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष दिया था कि मै जिस चाकू से कान्हा को मारा हूं उसे अपने घर में छिपाकर रखा हूं चलो चलकर बरामद करा देता हूं।

25– यह कहना सही है कि दिनांक–01.09.2022 को 18.30 बजे आरोपी मोहन यादव के द्वारा घटना में प्रयुक्त एक नग लोहे का चाकू जिसमें सुनहरे रंग का मुठ लगा हुआ और मुठ पर उंगली फंसाने के लिए चार छेद बने हुए थे, चाकू की कुल लंबाई 11.5 इंच, मुठ की लंबाई 4 इंच, फल की लंबाई 7.5 इंच, फल की चौड़ाई 1.5 इंच, फल के बीच में चार झिर्रियां बनी हुई है और चाकू के फल एवं मूठ पर खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ धारदार था को घर से निकालकर पेश करने पर मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष पुलिस ने जप्त किया था।

26– यह कहना सही है कि दिनांक–01.09.2022 को ही समय 14.20 बजे आरोपी मोहन यादव द्वारा थाना परिसर बसंतपुर में अपने शरीर से निकालकर घटना के समय पहने हुए पीले रंग का शर्ट जिसमें काला लाईनिंग बना हुआ, शर्ट के सामने का छः बटन टूटा हुआ, कॉलर में एक काले रंग का बटन, शर्ट पर काले रंग के मोनो में सफेद रंग से 100% LOVE CARE SHRE पर्पल (UR) made in india लिखा हुआ, शर्ट के बांये हाथ बाजू फटा हुआ, शर्ट पर कई जगह खून जैसा दाग धब्बे लगा हुआ था जिसे मेरे व मुनव्वर कुरैशी के समक्ष जप्त किया था।

27– यह कहना सही है कि आरोपी छगन उर्फ बिल्लू साहू ने दिनांक–01.09.2022 को 14.25 बजे थाना बसंतपुर में पुलिस को मेमोरेण्डम कथन मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष दिया था कि मै जिस चाकू से कान्हा को मारा हूं उस चाकू को अपने घर के आलमारी के निचे छिपाकर रखा हूं चलो चलकर बरामद करा देता हूं।

28– यह कहना सही है कि दिनांक–01.09.2022 को 16.40 बजे आरोपी बिल्लू उर्फ कल्लू उर्फ छगन साहू के द्वारा अपने घर से निकालकर घटना में प्रयुक्त एक नग बंडानुमा चाकू लोहे का जिस पर लकड़ी मुठ लगा हुआ है, चाकू की कुल लंबाई 14 इंच, मुठ की लंबाई 4.5 इंच, फल की लंबाई 9.6 इंच, फल की बीचोबीच चौड़ाई 1.6 इंच, चाकू पर कई जगह खून जैसा दाग धब्बा दिखाई दे रहा था, धारदार था पेश करने पर मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष पुलिस ने जप्त किया था।

29– यह कहना सही है कि आरोपी कुशल साहू उर्फ भैरा ने दिनांक–01.09.2022 को 13.40 बजे थाना बसंतपुर में पुलिस को मेमोरेण्डम कथन मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष दिया था कि जिस चाकू से मै कान्हा सारथी को मारा हूं उसे अपने घर में छिपाकर रखा हूं चलो चलकर बरामद करा देता हूं।

30– यह कहना सही है कि दिनांक–01.09.2022 को 16.55 बजे आरोपी कुशल के द्वारा अपने घर से निकालकर घटना में प्रयुक्त एक नग लोहे का चाकू जिसमें लकड़ी मुठ लगा हुआ था, चाकू की लंबाई 10 इंच, मुठ की लंबाई 4.6 इंच, फल की लंबाई 5.4 इंच, चाकू के फल पर बंदन रंग पेंट लगा हुआ, चाकू की मूठ व फल पर खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ था, धारदार था पेश करने पर मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष पुलिस ने जप्त किया था।

31– यह कहना सही है कि आरोपी रूपेश उर्फ लक्की नेताम ने दिनांक–01.09.2022 को 16.20 बजे थाना बसंतपुर में पुलिस को मेमोरेण्डम कथन मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष दिया था कि जिस समय कान्हा सारथी को सब चाकू, तलवार, डण्डा से मारे थे उस समय मै कान्हा सारथी को डण्डा से मारा था जिसमें खून लगा था उसे मै बिल्लू के घर के पास जहां कचरा फेकते हैं वहीं फेका हूं चलो चलकर बरामद करा देता हूं।

32– यह कहना सही है कि दिनांक–01.09.2022 को 17.20 बजे संतोष साहू के घर के सामने कचरे के ढेर से आरोपी रूपेश द्वारा घटना में प्रयुक्त बांस का डण्डा बीच से टूटा फूटा जिसकी कुल लंबाई 52.02 इंच, गोलाई बीच से 0.05 इंच, कुल पांच गांठ जिसमें खून लगा हुआ था, मेरे एवं मुनव्वर कुरैशी के समक्ष पुलिस ने जप्त किया था।

33– यह कहना सही है कि दिनांक–07.09.2022 को समय 13.30 बजे आशीष विश्वकर्मा के घर में लगे डी०वी०आर० को आशीष विश्वकर्मा के द्वारा पेश करने पर एक नग डी०वी०आर० सीपी प्लस कंपनी का मौके पर गवाहों के समक्ष वीडियो फुटेज देखने व सुरक्षित करने हेतु मेरे एवं मनोज गोंड के समक्ष जप्त किया था।

34– यह कहना सही है कि दिनांक–07.09.2022 को समय 14.00 आशीष विश्वकर्मा के घर में लगे डी०वी०आर० के अवलोकन बाद घटना से संबंधित फुटेज को ऑपरेटर अभिषेक द्वारा एक नग सेन डिस्क कूजर ब्लेड 16 जीबी का पेन ड्राइव जिसमें दिनांक–31.08.2022 के सुबह 5.30 बजे से 6.00 बजे का वीडियो फुटेज गवाहों के समक्ष देखा गया जिसमें मृतक गवाह एवं आरोपीगण रास्ते में दौड़ते नजर आ रहे हैं जिनको गवाहों द्वारा मोहन यादव, बिल्लू उर्फ छगन, मृतक कान्हा सारथी, रहीम यादव, राजा उर्फ ओमप्रकाश साहू , मृतक जितेंद्र साहू, इंद्रा नगर का सुमीत, दुर्गेश, सोहेल खान, राहूल पवार, पुलकित, रूपेश नेताम, गवाह मनोज उइके के रूप में पहचान किये जाने के बाद फुटेज को पेन ड्राइव में सुरक्षित कर पेश करने पर मेरे एव मनोज गोंड के समक्ष जप्त किया गया था।

35– यह कहना सही है कि दिनांक–07.09.2022 को समय 14.15 बजे डी०वी०आर० स्वामी संतोष साहू के घर में लगा को उसके पेश करने से एक नग डी०वी०आर० सीपी प्लस कंपनी का मौके पर मेरे एवं मनोज गोंड के समक्ष पुलिस ने जप्त किया था।

36– यह कहना सही है कि दिनांक–07.09.2022 को 14.30 बजे संतोष साहू के घर में लग डी०वी०आर० का अवलोकन कर घटना से संबंधित फुटेज को ऑपरेटर अभिषेक द्वारा पेन ड्राइव में सुरक्षित कर पेश करने पर एक नग सेन डिस्क कूजर ब्लेड 16 जीबी जिसमें दिनांक–21.09.2022 के 5 से 6 बजे तक का वीडियो फुटेज गवाहों के समक्ष देखा गया जिसमें घटना दिनांक, समय को मृतक, गवाह एवं आरोपीगण रास्ते में दौड़ते नजर आ रहे हैं को मेरे व मनोज गोंड के समक्ष पुलिस ने जप्त किया गया था।

37– यह कहना सही है कि आरोपी अमित गोंड एवं पुलकित केमे को पुलिस ने मेरे समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था।

38– साक्षी को उसके पुलिस कथन प्र०पी०–46 को पढ़कर सुनाया गया इस पर साक्षी ने ऐसा कथन देना स्वीकार किया।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण सोहेल, प्रशांत, लक्ष्मण पवार एवं मोहन यादव–

39– यह कहना सही है कि मै गौरी नगर में निवास करता हूं। यह कहना सही है कि घटना नंदई की है। मुझे धारा–160 की नोटिस के बारे में पता नही है। यह कहना सही है कि मै शराब नही पीता हूं। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आप रात में कितने बजे तक घुमते फिरते हो इस पर साक्षी का कहना है कि मै रात में घुमता फिरता नही हूं।

40– यह कहना सही है कि मेरे पास मोटर सायकल नही है, स्वतः कहा कि कान्हा भाई के पास है। यह कहना सही है कि मेरे पास बाईक चलाने का ड्रायविंग लायसेंस नही है। मै नवमी फेल हूं। यह कहना सही है कि मै अंग्रेजी पढ़ना लिखना नही जानता हूं। यह कहना सही है कि पुलिस वाले जो अंग्रेजी में लिखे हैं उसे पढ़कर नही देखा हूं। यह कहना सही है कि मैने सभी दस्तावेजों में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया हूं पर पढ़कर नही देखा हूं।

41– यह कहना सही है कि मै पटवारी के साथ गया था। यह कहना सही है कि मै कौन से दिनांक को पटवारी के साथ गया मुझे आज याद नही है। यह कहना सही है कि पुलिस के साथ मै कब–कब गया था तारीख मुझे आज याद नही है। यह कहना सही है कि बयान किस–किस तारीख को हुआ था मुझे आज याद नही है। यह कहना सही है कि आरोपीगण का मेमोरेण्डम कथन कब–कब दिनांक को लिखा गया था इसकी मुझे जानकारी नही है।

42– यह कहना सही है कि मै आरोपीगण को घटना के पहले से जानता हूं इसलिए पहचानता हूं। यह कहना गलत है कि मै घटना के बारे में नही जानता और प्रार्थीगण के सिखाने पर आज न्यायालय में बढ़ाचढ़ाकर झूठा कथन कर रहा हूं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री महेन्द्र वर्मा अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण दुर्गेश एवं रूपेश–

43– यह कहना सही है कि मै गौरी नगर में रहता हूं। नंदई में कितने मोहल्ले हैं वहां गली किस–किस नाम से है मै नही जानता, स्वतः कहा कि मै केवल नंदई है जानता हूं। यह कहना सही

है कि नंदई चौक के आसपास रहने वाले लोगों का नाम नही पता है, स्वतः कहा कि आरोपीगण में से कुछ लोगों का नाम जानता हूं।

44– यह कहना सही है कि जहां घटना स्थल पर शव पड़ा हुआ था उसके आसपास रहने वाले लोगो में एक नरेंद्र देवांगन का घर है जानता हूं इसके अलावा आसपास और किनका घर आदि है मै नही जानता। आज मै यह नही बता सकता कि किस दिनांक व समय को मै पुलिस वालों के साथ घटना स्थल गया था, स्वतः कहा कि नक्शा बनाने लेकर गये थे।

45– यह कहना सही है कि मैने पुलिस कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों में हस्ताक्षर थाने में ही किये थे। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि पटवारी ने कार्यालय में हस्ताक्षर करवाया था इस पर साक्षी का कहना है कि घटना स्थल पर भी हस्ताक्षर करवाया था और बाद में दूसरे जगह भी हस्ताक्षर करवाया था।

46– यह कहना गलत है कि मै आरोपी रूपेश नेताम को नही जानता हूं। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि रूपेश नेताम गोरा है या काला है, लंबा है या छोटा है, कद काठी क्या है इस पर साक्षी का कहना है कि मेरे से ज्यादा हाइट है और उतना ज्यादा गोरा नही है, उम्र कितना है नही जानता। यह कहना सही है कि रूपेश नेताम क्या करता है कहां रहता है मै नही जानता।

टीप– न्यायालयीन समय 5.00 होने से साक्षी का शेष प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही/–
(डी० आर० देवांगन)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव
जिला–राजनांदगांव (छ०ग०)

सही/–
(डी० आर० देवांगन)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव
जिला–राजनांदगांव (छ०ग०)